न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

जिला – राँची

केस का प्रकार – **एस0ए0आर0 अपील वाद सं0–03/2022–23**

मौजा–हटिया (नामकुम)

बिमला कुमारी वगैरह .... वादी।

बनाम

मनु उरांव वगैरह ....प्रतिवादी।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
20/12/23	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। **एस0ए0आर0 अपील वाद सं0–03/2022–23 दिनांक–02.08.2023** को पारित आदेश में लिपिकीय भूल के कारण विशेष विनियमन पदाधिकारी रांची के न्यायालय वाद सं0–02/2021–22 के स्थान पर एस0ए0आर0 वाद सं0–02/2020–21 टंकित हो गया है। इसे सुधार कर एस0ए0आर0 वाद सं0–02/2021–22 किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेंगे। लेखापित एवं संशोधित। 20/12/23 अपर समाहर्त्ता, राँची। 20/12/23 अपर समाहर्त्ता, राँची। ज्ञापांक 6718 (LR)/RR दिनांक: 26/12/2023 प्रतिलिपि: अंचल अधिकारी नामकुम, राँची को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 26/12/23 अपर समाहर्त्ता राँची। 26/12/23	email sent 26/12/23

A.K. December 2023/301

बिमला कुमारी वगैरह
बनाम
मनु उराँव वगैरह

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

अनुसूची 14– फारम स0 562

आदेश–पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम, 129)

आदेश पत्रक .....से ..... तक

जिला– राँची, एस0ए0आर0 अपील वाद संख्या–03 आर0 15/2022–23

अंचल–नामकुम, मौजा–हटिया

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी : तारीख सहित
02/8/23	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित है। उभय पक्षों का तर्क सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह वाद अपीलकर्त्तागण के द्वारा एस०ए०आर० वाद संख्या 02/2020–21 में न्यायालय, श्रीमती मनिषा तिर्की, विशेष विनियमन, पदाधिकारी राँची के द्वारा परित आदेश दिनांक–28.10.2022 के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलकर्त्ता का कहना है कि खाता नं0 52, प्लोट नं0 1274 रकवा 49 डिसमील मौजा हटिया, थाना– जगरनाथपुर, थाना नं0 248 जिला राँची से संबंधित है जो आर० एस० खतियान में जगरनाथ उराँव वल्द झिरगा उराँव के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता के अनुसार आर० एस० खतियानी रैयत, जगरनाथ उराँव अपने पीछे एक पुत्र सह उत्तराधिकारी, मानो उराँव को छोड़कर स्वर्गवास हो गये। मानों उराँव भी पुत्रविहीन स्वर्गवास हो गये। आर० एस० खतियानी रैयत जगरनाथ उराँव ने अपने जीवनकाल में ही विवादित जमीन को सुरेन्द्र नाथ मोहन्ती उर्फ सुरेन्द्र नाथ महतो को वर्ष 1947 ई0 सही वो उचित वो पूर्ण लेख्यमूल्य प्राप्त करके बिक्री कर दिया था। सुरेन्द्र नाथ मोहन्ती उर्फ सुरेन्द्र नाथ महतो ने तकरारी/विवादीत/वादग्रसीत जमीन	

को खतियानी रैयत, जगरनाथ उराँव से खरीदने के पश्चात् उस जमीन पर दो बड़ा बनवाये जिसमें चार बड़ा बड़ा घर बड़ा कमरा पुरब की ओर एवं पाँच कमरा पश्चिम की ओर और पक्का कुंवा, पक्का चाहारदिवारी वो पाँच अलग अलग बाथरूम बनाये वो मुख्य गेट के सामने उक कमरा का निर्माण कराकर अपने बच्चो वो सम्पूर्ण परिवार के साथ रहने लगे जो अभी भी सारा निर्माण अवस्थित है। इस प्रकार वर्ष 1947 से अब तक अपीलकर्तागण का दखल कब्जा तकरारी जमीन पर है। अपीलकर्त्ता का यह भी कहना है कि वादग्रस्त भूमि का स्वामित्व हस्तान्तरण के बहुत वर्षों के बाद एवं खतियानी रैयत जगरनाथ उराँव के मृत्यु के पश्चात् इनके पुत्र मानो उराँव ने एक हक वाद संख्या 863/1963 (Title Suit No- 863/1962) मुन्सीफ, राँची व्यवहार न्यायालय में अपीलकर्ताओं के पिता सुरेन्द्र नाथ मोहन्ती के विरूद्ध दायर किया था। वाद का सम्मन प्राप्त होने के पश्चात् सुरेन्द्र नाथ मोहन्ती ने अपना लिखित जवाब न्यायालय में दाखिल किया और दोनों पक्षों के बीच मुवावजा के साथ दिनांक 27.11.1962 ई0 को समझौता हुआ और उसी आधार पर न्यायालय ने दिनांक 12.12.1962 ई० को अपीलकर्ताओं के पिता सुरेन्द्र नाथ मोहन्ती के पक्ष में डिक्री पारित किया। मुंसिफ न्यायालय द्वारा आदेश तिथि 12.12.1962 ई० में अपीलकर्त्ताओं के पिता सुरेन्द्र नाथ मोहन्ती के हीत में डिक्री पारित करने के बाद अब तक इस डिक्री के विरूद्ध में किसी प्रकार का, किसी भी न्यायालय में कोई अपील बाद किसी के द्वारा नही लाया गया है। इस प्रकार अपीलकर्ताओं के पिता का यह तकरारी जमीन स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसमें प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में तर्क देते हैं कि लिमिटेशन एक्ट के तहत छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 'ए' दखल कब्जा के 30 वर्ष के बाद लागु नहीं होता है परन्तु तकरारी जमीन का स्वामित्व का हस्तान्तरण अपीलकर्तागणों को 1947 ई0 में हुआ था जो 73 वर्ष से भी अधिक समय का दखल कब्जा अपीलकर्तागणों का प्रमाणित होता है तथा वर्ष 1962 में व्यवहार न्यायालय के मुंसिफ न्यायालय से एक

एस0ए0आर0 न्यायालय रांची में अंचल अधिकारी, नामकुम के पत्रांक 552 (ii) दिनांक 12.06.2020 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत जमीन मौजा हटिया थाना न0 248 खाता नं0 52 प्लॉट सं.–1273, 1274 रकवा क्रमश 20 डी0, 49 डी0 कुल रकवा 69 डी0 भूमि के संबंध में संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच के प्रतिवेदनानुसार उक्त भूमि की खतियान में जगरनाथ उराँव बल्द झिरगा उराँव के नाम से दर्ज है। पंजी–II के अनुसार पृष्ट स0 2/101 में सुरेन्द्र नाथ मोहन्ती पिता हातो राम महन्ती के नाम से दर्ज है। पंजी–II में जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। विवादित भूमि पर चाहरदिवारी का निर्माण एवं एक पुरानी मकान निर्मित है। पुनः अंचल अधिकारी नामकुम के पत्रांक 1837 (ii) दिनांक 14.09.2022 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत जमीन मौजा हटिया थाना नं0 248 खाता नं0 52 प्लॉट स0. 1273, 1274 रकवा क्रमश 20 डी0, 49 डी0 की पंजी–II में जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। साथ ही पंजी–II में भाग स0. 1 पेज सं0 57 में मानु उरांव के नाम से भी खाता 52 प्लॉट सं. 1273 रकवा क्रमशः 20 डी0 जमाबंदी दर्ज है। अंचल अमीन नामकुम ने लिखित प्रतिवेदन कहा है कि सन् 1932–33 का सर्वे नक्शा से मिलान करके नापी किया एवं निशान लगा दिया। नापी के दौरान पाया कि उक्त भूमि पर जगदीश मोहन्ती वगैरह का मकान कुआं, बारी रकवा रकवा 49 डीसमिल मध्ये रकवा 16 डीसमिल भूमि पर निर्माण किया हुआ है। शेष भूमि 33 डीसमिल जमीन परती है एवं वर्तमान में घांस और झाड़ी से भरा हुआ। जाँच के क्रम में जगदीश, मोहन्ती वगैरह से कागजात की माँग किया गया। परन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार का वैध कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजात एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि, खतियान में आदिवासी रैयत के नाम

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2024.02.17 16:32:54 +05:30
Location: 192.168.2.175

है। आदिवासी रैयत की जमीन गैर आदिवासी को अहस्तान्तरणीय है।